न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 19/18 (225)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00087

उनवान

1. प्रकाश पुत्र श्री गनपत जाति जाट निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।
   1/1. गुलकन्दी पत्नि प्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।
   1/2. श्रीराम सिंह पुत्र प्रकाश
   1/3. ईश्वर सिंह पुत्र प्रकाश
   1/4. ज्ञान सिंह पुत्र प्रकाश
   } जाति जाट निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।
   1/5. नहार सिंह पुत्र प्रकाश

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
3. अनाज भण्डारण (गोदाम निर्माण) हेतु सहकारिता विभाग भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दिनांक 16.03.2018 प्रकरण संख्या 74/17 उनवान प्रकाश बनाम सरकार।

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय **दिनांक :–21.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जघीना नं 02 तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण के पूर्वजो ने कठोर परिश्रम कर विवादित आराजी को काबिल काश्त बनाया है एवं उक्त आराजी में कुँआ निर्मित कराया है। इस कारण खसरा नम्बर 3044,3046 सिवायचक लगानी दर्ज है तथा किस्म चाही 1 व जाव 1 दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 3042, 3043 का उपयोग प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आवागमन हेतु करते हैं। परन्तु उक्त खसरा नम्बर मे से खसरा नम्बर 3044, 3046 को सिवायचक एवं खसरा नम्बर 3042, 3043 को गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 3045 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गैर मुमकिन कुँआ दर्ज कर रखा है जो कि खिलाफ मौका व कानून है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। विवादित आराजी को अपीलाण्ट व उनके पूर्वजो ने मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है एवं अपीलाण्ट के पूर्वजो ने ही विवादित आराजी में कुँआ निर्मित कराया है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत प्रकार से विवादित आराजी को गैर मुमकिन रास्ता व सिवायचक दर्ज कर रखा है एवं कृषि भूमि को अनाज भण्डारण हेतु गलत रूप से आवंटन कर दिया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिये। रास्ते की जमीन को अनाज भण्डारण हेतु कैसे आवंटित किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से वर्जित है। पूर्व में न्यायालय हाजा के आदेश से आवंटन को खारिज कर दिया। अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक दावा चल रहा है। स्थगन रिकार्ड का चाहा गया है। न्यायालय हाजा से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट का अवैध रूप से कब्जा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी, गैर मुमकिन कुँआ एवं गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस प्रकार समस्त आराजी राजकीय भूमि है। राजकीय भूमि होने के कारण खसरा नम्बर 3042 एवं 3043 का आवंटन अनाज गोदाम भण्डार (गोदाम निर्माण) हेतु सहकारिता विभाग भरतपुर को हुआ है। अपीलाण्ट उक्त आवंटन आदेश को न्यायालय हाजा से खारिज होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। केवल अपील मीमो की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। यदि उक्त आवंटन निरस्त भी हो गया हो, तो भी अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। क्योंकि विवादित आराजी राजकीय भूमि है एवं अपीलाण्ट का उस पर कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। हम अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 16.03.2018 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-02-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर